जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 19-02-2021**

आज दिनांक 1.02.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अम्बरीश भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना महुली पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 29/21 धारा 376 भा0द0वि0 मे वांछित अभियुक्त नाम पता राम सिंह स्व0 हरिराम सिंह निवासी धायपोखर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादि नी द्वारा दिनांक 28.01.2021 को थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 19.02.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - थानाध्यक्ष महुली उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह, हे0का0 अनिल कुमार यादव, का0 अंजेश गुप्ता।

दहेज के लिए प्रताड़ित करने व फांसी लगाकर मृत्यु कारित करने के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 56/21 धारा 498(A)/306/201 भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट के मामलें मे वांछित अभियुक्त नाम पता द्वारिका प्रसाद उर्फ रिंकू पुत्र श्रीकांत प्रसाद निवासी बढ़े पुरवा थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी अनीता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था तथा दिनांक 11.02.2021 के दुपट्टे से फांसी लगाकर मृत्यु कारित कर दी गयी थी तथा साक्ष्य मिटाने के

उद्देश्य से रस्सी व फन्दे को जला दिया गया था , जिसके संबंध में वा दी द्वारा दिनांक 13.02.2021 को थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 19.02.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - थानाध्यक्ष महुली उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह, उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, हे0का0 अनिल कुमार यादव, का0 सलमान अंसारी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3310 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल दो व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3310 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत सोंधिया से इवेन्ट संख्या 10822 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से दो व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 10 मिनट में पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया तथा विधिक कार्यवाही हेतु वादी को थाना धनघटा भेजा गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल दो व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 अनिल यादव, हो0चा0 राकेश सिंह।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 43 वाहनो से 42500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 43 वाहनो से 42500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।